अपील सूचना अधिकार संख्या 41/2018(RCMS : 2018/00103) अनवानी रामचन्द्र पुत्र लालाराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी–S.D.O., अनूपगढ

25–06–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र स्वयं उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपगढ स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी, रामचन्द्र में अपनी बहस में कथन किया है कि उसके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (भू.अ.) अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपढ द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है और निवेदन किया है कि उसने पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर एक प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 21.02.2018 को दिया था, जिसके सम्बन्ध में उसे सूचित किया गया था कि सूचना से सम्बन्धित वांछित पत्रावलियां 576/1977 एवं 611/1977 अभिलेखागार, अनूपगढ में जमा करवाई जा चुकी है, अतः वहां से नकल प्राप्त कर सकते है किन्तु उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के द्वारा अभी तक भी प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2018 में अंकित उक्त मूल आवंटन पत्रावलियों 576/1977 एवं 611/1977 की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण उसका यह भी कथन है कि लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार 250/– रूपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जावे तथा निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवायें जाने का आदेश दिया जावे।

सा./-
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया आरै पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से अपीलार्थी/प्रार्थी ने निम्न सूचना चाही थी :

1. गावं खाटा बरानी मुरबा न0 85 में 25 बीघा आवन्टी का नाम रामकुमार पुत्र सदासुख मिसल न0 576/77 आवन्टन आदेश की सम्पूर्ण मूल पत्रावली की प्रमाणित सूदा नकल दो प्रतियों में
2. मिसल न0 611/77 गावं खांटा बरानी मुरबा न0 89 के किला नम्बर 3 ता 6, 14 ता 17 , 24 ता 25 कुल 10 बीघा आवन्टी का नाम प्रेमसिंह पुत्र सदासुख तिथि 03. 02.1987 सम्पूर्ण मूल पत्रावली दो प्रतियो में प्रमाणित शुदा।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2018 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखाण्ड अधिकारी, अनूपगढ से उक्त दो बिन्दुओं की सूचना : गावं खाटा बरानी मुरबा न0 85 में 25 बीघा के आवन्टन की पत्रावली 576/1977 – रामकुमार पुत्र सदासुख निवासी खाटां एवं इसी गांव की मुरब्बा नम्बर 89 की 10 बीघा भूमि की आवंटन पत्रावली संख्या 611/1977 – प्रेम सिंह आवंटी की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही हैं। पत्रावली में उपलब्ध उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर का पत्र 424 दिनांक 15.03.2018 के अनुसार उक्त पत्रावलियां अभिलेखागार, अनूपगढ में जमा होने बाबत अपीलार्थी रामचन्द्र को सूचित किया गया हैं। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में एक माह में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना आवश्यक था, जो नहीं किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

सा./-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ को आदेश किया जाता है किं अपीलार्थी की वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के पत्र 424 दिनांक 15.03.2018 के अनुसार आपके कार्यालय के अभिलेखागार में जमा करवाया गया है। अतः आप अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2018 का, आदेश प्राप्ति से 7 दिवस में नियमानुसार निस्तारण करें और वांछित सूचनाएं जो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम प्रावधानों के अन्तर्गत देय हो, नियमानुसार दी जावे और अगर देय नहीं हो तो उसे सूचित किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ भेजी जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर